

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - उत्तनारखुई)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 277/25 ..... दायर दिनांक 27/06/25 निर्णय दिनांक 27/06/25



क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	<u>उत्तनारखुई</u>	<u>202</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुसंधान स्वीकार की जाकर राज. भू.सं.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उत्तनारखुई</u> - प.ह. <u>उत्तनारखुई</u> - खालास <u>202</u> ..... में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक		
			हस्ताक्षर पटवार <u>प.ह. उत्तनारखुई</u>	हस्ताक्षर गिरदार <u>प.ह. उत्तनारखुई</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार <u>प.ह. उत्तनारखुई</u>	

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

1. पटवारी पटवार मण्डल उत्तनारखुई को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें कपासन जिला-चितौडगढ

तहसीलदार कपासन  
कपासन